न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 12/2020 (Bank Case)

आईडीबीआई बैंक लि0, शाखा–घोडेवाला चौराहा, कोटा

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. मैसर्स दीपक ट्रेडर्स प्रोपराईटर श्रीमती सुशीला देवी अग्रवाल पत्नी श्री नोरतमल अग्रवाल
   पता– स्वागत मार्केट, ओल्ड धानमण्डी, कोटा–324001
2. श्रीमती सुशीला देवी अग्रवाल पत्नी श्री नोरतमल अग्रवाल
3. श्री नोरतमल अग्रवाल पुत्र श्री बिरधी चंद अग्रवाल
4. श्री पंकज अग्रवाल पुत्र श्री नोरतमल अग्रवाल
   पता– प्लॉट नं0 18–19, मारूति कॉलोनी, पंकज होटल के पीछे, नयापुरा कोटा–324001

– अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्र्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित

श्री अमर सिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 28.01.2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आईडीबीआई बैंक लि0, शाखा–घोडेवाला चौराहा, कोटा राजस्थान मे स्थित हैं, से अप्रार्थीगण ने दिनांक 27.12.2016 को रूपये 90,00,000/–(अक्षरेः रूपये नब्बे लाख मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे अचल सम्पत्ति **(1) दुकान नं0 3 एवं 4 (छत के बिना) स्वागत मार्केट, ओल्ड धानमंण्डी, कोटा में स्थित हैं जिसका क्षेत्रफल 196.91 वर्ग फीट हैं जो कि श्रीमती सुशीला देवी अग्रवाल के नाम से हैं (जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कार्यालय उपपंजीयक कोटा, दिनांक 11.06.2004) जिसकी चतुर्थ सीमाऐं– पूर्व–मार्ग, पश्चिम–हीरा लाल सबदारा का मकान, उत्तर–दुकान नं0 5, दक्षिण–दुकान नं0 1 व 2 फिर रास्ता (2) दुकान नं0 5 (छत के बिना) स्वागत मार्केट, ओल्ड धानमंण्डी, कोटा में स्थित हैं जिसका क्षेत्रफल 135.85 वर्ग फीट हैं जो कि श्री नोरतमल अग्रवाल पुत्र श्री बिरधीचंद अग्रवाल के नाम से हैं (जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कार्यालय उपपंजीयक कोटा, दिनांक 11.06.2004) जिसकी चतुर्थ सीमाऐं– पूर्व– मार्ग, पश्चित– हीरा लाल सबदारा एवं प्रेमजी का मकान, उत्तर– गोदाम (दुकान) पवन ट्रेडिग कम्पनी, दक्षिण– गोदाम (दुकान) पवन ट्रेडिग कम्पनी (3) दुकान स्वागत मार्केट, ओल्ड धानमण्डी, कोटा में स्थित हैं जिसका क्षेत्रफल 178.87 वर्ग फीट है जो कि श्री पंकज अग्रवाल पुत्र श्री नोरतमल अग्रवाल के नाम से हैं (जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कार्यालय उपपंजीयक कोटा, दिनांक 13.06.2007) जिसकी चतुर्थ सीमाऐं– पूर्व– अन्य दुकान, पश्चित– अन्य दुकान , उत्तर– गुजराती जी का मकान, दक्षिण– मार्ग हैं,**

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 01.04.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थीगण के खातों मे 94,07,000/– (अक्षरे रूपये चौरानवें लाख सात हजार मात्र) बकाया रकम दिनांक 14.06.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 30.08.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 30.08.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत दिनांक 30.08.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता की **अचल सम्पत्ति (1) दुकान नं0 3 एवं 4 (छत के बिना) स्वागत मार्केट, ओल्ड धानमंण्डी, कोटा में स्थित हैं जिसका क्षेत्रफल 196.91 वर्ग फीट हैं जो कि श्रीमती सुशीला देवी अग्रवाल के नाम से हैं (जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कार्यालय उपपंजीयक कोटा, दिनांक 11.06.2004) जिसकी चतुर्थ सीमाऐं– पूर्व–मार्ग, पश्चिम–हीरा लाल सबदारा का मकान, उत्तर– दुकान नं0 5, दक्षिण–दुकान नं0 1 व 2 फिर रास्ता (2) दुकान नं0 5 (छत के बिना) स्वागत मार्केट, ओल्ड धानमंण्डी, कोटा में स्थित हैं जिसका क्षेत्रफल 135.85 वर्ग फीट हैं जो कि श्री नोरतमल अग्रवाल पुत्र श्री बिरधीचंद अग्रवाल के नाम से हैं (जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कार्यालय उपपंजीयक कोटा, दिनांक 11.06.2004) जिसकी चतुर्थ सीमाऐं– पूर्व– मार्ग, पश्चित– हीरा लाल सबदारा एवं प्रेमजी का मकान, उत्तर– गोदाम (दुकान) पवन ट्रेडिग कम्पनी, दक्षिण– गोदाम (दुकान) पवन ट्रेडिग कम्पनी (3) दुकान स्वागत मार्केट, ओल्ड धानमण्डी, कोटा में स्थित हैं जिसका क्षेत्रफल 178.87 वर्ग फीट है जो कि श्री पंकज अग्रवाल पुत्र श्री नोरतमल अग्रवाल के नाम से हैं (जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कार्यालय उपपंजीयक कोटा, दिनांक 13.06.2007) जिसकी चतुर्थ सीमाऐं– पूर्व– अन्य दुकान, पश्चित– अन्य दुकान , उत्तर– गुजराती जी का मकान, दक्षिण– मार्ग हैं,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त

जिला कलक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 28.01.2020 को सुनाया गया।

(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner